82

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क............../2018

Aग्रासी-0225/2019/जबलपुर/भू.रा.वि.

पुनरीक्षणकर्ता (आवेदिका) – श्रीमती हलीमन बी बेवा पीरू खां
निवासी– 1378, बेदरा मोहल्ला, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

01

गैरपुनरीक्षणकर्तागण (अनावेदकगण) –1. श्री मोहनलाल पिता किशनलाल निवासी– यादव कालोनी, कमला नेहरू नगर वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)

2. श्री मुन्नालाल पिता सुमेर निवासी– 1156, विवेकानंद वार्ड, यादव कालोनी, जबलपुर (म.प्र.)

3. श्री प्रकाश तिवारी पिता स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी– 24, पत्रकार कालोनी, रानीताल, जबलपुर (म.प्र.)

4. श्रीमती उमा चौधरी पत्नि श्री रतीराम चौधरी, निवासी– ड्यूप्लेक्स–1 कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)

श्री विनोद फौजदार ... रीडर (राजस्व मंडल) 02 ... कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन न्याया. आयुक्त महो. जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क. 1204/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधि आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य

SURENDRA KUMAR KHARE S. K. KHARE OATH COMMISSIONER 02 JAN 2019

1. यह कि, यह अविवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता काश्तकारी भूमि मौजा कछपुरा नं.बं. 501, प.ह.नं. 25/31 ख.नं. 73/1 रकवा 0.664 हे. तह. व जिला जबलपुर पर अपने पति स्व. पीरू खां के समय से वर्ष 1950–51 से मालिक काबिज होकर काश्तकारी करती चली आ रही है एवं उक्त भूमि के समस्त राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी पुनरीक्षणकर्ता के पति स्व. पीरू खां का नाम दर्ज चला आ रहा है।

2. यह कि, उक्त तथ्यों के आधार पर माननीय तहसीलदार कोतवाली जबलपुर के द्वारा प्रकरण क. 103/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2006 के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता का नाम बहैसियत स्वामी समस्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–जबलपुर / भू0रा0 / 2019 / 225

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible] आदि के हस्ताक्ष[illegible]
3/5/19	यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 1204/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-11-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने जा चुके हैं। 2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 1204/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-11-18 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 2-1-19 को प्रस्तुत हुई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में हुये सॅशोधन वर्ष 2018 (प्रभावशील दिनांक 25-9-18) के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है- धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध, (ख) इस संहिता के अधीन व्दित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध । ग्रहण नहीं किया जायेगा। संहिता में हुये उक्तानुसार सॅशोधन के फलस्वरूप व्दित्तीय अपील में निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 1204/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-11-18 के विरूद्ध दिनांक 2-1-19 को प्रस्तुत पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य नहीं होने अमान्य किया जाता है। सदस्य	